

1. TSC / Swajaldhara
2. Committees & nodal officers

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 01अगस्त 2003

क्रमांक एफ-06/13/2003/34/1: भारत शासन द्वारा स्वजलधारा जून 2003 के अंतर्गत दिये गये दिशा- निर्देशों के तहत राज्य शासन द्वारा राज्य स्तर पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया जाता है । यह मिशन सेक्टर रिफॉर्म स्वजलधारा एवं समग्र स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन प्रक्रिया को सुदृढता से अनुश्रवित, समन्वित एवं पर्यवेक्षित करेगा । मिशन एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करेगा । जिसका भारतीय स्टेट बैंक सहयोगी बैंक में पृथक से खाता होगा ।

2/ नव गठित मिशन के अन्तर्गत दो समितियों शिखर समिति एवं कार्यपालिका समिति कार्य करेगी जिसका गठन क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ-19-92/03/1/4, दिनांक 01अगस्त, 2003 तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 01अगस्त 2003 द्वारा किया गया है !

3. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन का कार्य निम्नानुसार होंगे :-

1. स्वजलधारा एवं समग्र स्वच्छता अभियान योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नीति संबंधी मार्गदर्शन !
2. पेयजल आपूर्ति विभाग के साथ अनुबंधित किये गये एम.ओ.यू. का समय समय पर पर्यवेक्षण !
3. पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र में सैस कि भारत सरकार तथा अन्य वाहय संस्था से पूर्णतया आंशिक रूप से धनराशि प्राप्त हो रही हो (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सबमिशन एवं समग्र स्वच्छता शामिल हो) पर विचार एवं अनुमोदन !
4. पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता गतिविधियों जिसमें विशेष परियोजना भी शामिल हो उनमें एकरूपता एकीकरण (कनवर्जेन्स) लाना !
5. ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं अन्य सहयोगियों के मध्य समन्वय स्थापित करना !
6. पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं का अनुश्रण और क्रियान्वयन की समीक्षा करना , जिसमें भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ शामिल हो !
7. स्वजलधारा योजनाओं का निर्माण के स्तर के प्रमाणीकरण हेतु स्वतंत्र संस्था की व्यवस्था करना !
8. पेयजल तथा स्वच्छता के लिए संचार तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों का एकीकरण एवं संचालन !
9. स्वजलधारा- II के अन्तर्गत के लिए जाने वाले जिलों का चनावु करना !
10. एक से अधिक जिलों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की संयुक्त जलप्रदाय योजनाओं पर स्वीकृति हेतु विचार एवं अनुमोदन किया जाना ! 11. स्वजलधारा के अन्तर्गत क्रियान्वित हो रही योजनाओं को विशेषज्ञों के दल द्वारा रैंडम (नमूना) निरीक्षण करना !
12. भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वजलधारा की राशि की आंवटन जिला , जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर करना !

- 13 जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अंकेक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना तथा भारत सरकार को स्वजलधारा - I की द्वितीय किश्त तथा स्वजलधारा - II की द्वितीय तृतीय व चतुर्थ किश्त मुक्त करने कि अनुशंसा करना !
- 14 स्वजलधारा प्रोजेक्ट फंड का चार्टर्ड एकाउंटेंट से आडिट करना !
- 15 ग्राम पंचायत को मार्गदर्शन हेतु विभिन्न तकनीकी विकल्पों के रूपांकन तथा प्रस्तावित क्रियान्वयन , संचालन व संधारण तथा पुनः निर्माण की नियमावली बनाना
- 16 राज्य में स्वजलधारा- I तथा II में वार्षिक निधि की आवश्यकता का आंकलन करना
- 17 पूर्ण हो चुकी योजनाओं के क्रियान्वयन की विशेषज्ञों, अधिकारियों, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं द्वारा अनुश्रवण एवं समीक्षा कराने के तंत्र का निर्धारण करना !

4/ राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-8/96/2/34, दिनांक 8 जून 2001 द्वारा गठित कार्यपालिका समिति को निरस्त किया जाता !

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(अजातशत्रु)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक-एफ-06/13/2003/34/1, भोपाल , दिनांक 1 अगस्त ,2003.
प्रतिलिपि:-

- 1 अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ,
- 2 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल ,
- 3 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायत विभाग /स्कूल शिक्षा विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिकल्याण विभाग/जनसंपर्क विभाग /प्राथमिक शिक्षा विभाग/योजना विभाग/ समाज कल्याण विभाग,
4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , मध्यप्रदेश भोपाल ,
- 5 सलाहकार , प्रौद्योगिकी मिशन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , म0प्र0 भोपाल,
- 6 प्रोजेक्ट डारेक्टर ,सेक्टर रीफार्म एवं स्वजलधारा तथा समग्र स्वाच्छता अभियान
- 7 मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/ग्वालियर /जबलपूर मध्यप्रदेश भोपाल,
- 8 संयुक्त सचिव ,भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय पेयजल प्रदाय विभाग से निवेदन है कि कृपया राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शिखर समिति मे भारत सरकार के प्रतिनिधि मनोनीत करने की कार्यवाही करें ,
9. सचिव ,मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन ,
10. मुख्य सचिव, के उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
11. विशेष सहायक , मंत्री , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , मध्यप्रदेश भोपाल , संयुक्त संचालक , जनसंपर्क (मंत्रालय प्रकोष्ठ)भोपाल ,

हस्ता/-
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग